

परफॉर्मेंस होगा वेतन वृद्धि का आधार

सरकार की नई पहल, 36 माह का परफॉर्मेंस 'अच्छा' होने पर मिलेगा दूसरा एसीपी

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

राज्य सरकार के अधिकारियों का वेतन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगा। नियमित प्रोन्नति का भी यही आधार होगा। पहले सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एसीपी) का लाभ तो वह पा सकते हैं लेकिन दूसरे और तीसरे एसीपी को सीधे उनके काम से जोड़ दिया गया है।

हालांकि पहले के लिए भी यह तय है कि उनके काम को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी

चाहिए। इसी के साथ मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को भी सरकार ने नियम से बांध दिया है। अब उन्हें हर हाल में समय पर मूल्यांकन प्रतिवेदन देना होगा। सरकार के इस नये नियम से सेक्शन ऑफिसर से लेकर



आठों प्रीमियर सेवा के अधिकारी प्रभावित होंगे।

नये प्रावधान के अनुसार 7600 और इससे ऊपर के ग्रेड वेतनों के लिए अधिकारियों को बहुत अच्छा काम करना होगा जबकि 6600 रुपये तक के ग्रेड पे का लाभ अच्छा काम करने वालों को भी मिल जाएगा। खास बात यह है कि इन दोनों पे ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए पांच वर्ष में से 36 माह का परफॉर्मेंस सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार होना चाहिए। यदि पांच वर्ष में से केवल 36 माह का ही अभियुक्ति उपलब्ध हो तो दो वर्ष पहले की अभियुक्ति पर विचार कर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता। कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी होने पर अधिकारी को अगले पांच वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी।

मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी की

नई शुरुआत

- तीसरे एसीपी के लिए करना होगा 'बहुत अच्छा' काम
- समय पर प्रतिवेदन नहीं देने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज
- एसओ से आठों प्रीमियर सेवा के अधिकारी होंगे प्रभावित

जानकारी विभाग को समय पर दे देनी होगी। प्रोन्नति समिति की बैठक में अगर उनकी टिप्पणी नहीं मिली तो पहले के काम के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकती है। साथ ही मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध भी प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार जिन विभागों में स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रावधान है वहां अधिकारी को हर हाल में 30 अप्रैल तक प्रतिवेदन देना होगा।

